सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बार

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 09/2016

बउनवान

श्री हारून खां, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, क्षेत्र– कोटा जोन, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–कोटा **(प्रार्थी)**

बनाम

1. श्री चंचल शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा (विक्रेता) उम्र–37 निवासी सर्राफा बाजार बारां मेसर्स– मधुरम बैकर्स चारमूर्ति चौराहा बारां
2. श्रीमति अनिता शर्मा पत्नि श्री चंचल शर्मा निवासी पीपली वाले कुए के पास वार्ड नं. 17 बारां
3. श्री प्रकाश दवानी (नोमिनी) मेसर्स वालमार्ट इन्डिया प्रा.लि. (बेस्ट प्राईज) झालावाड़ रोड़ कोटा
4. मेसर्स वालमार्ट इन्डिया प्रा.लि. (बेस्ट प्राईज) झालावाड़ रोड़ कोटा
5. श्री किशनगोपाल खण्डेलवाल **(ऑथोराईज्ड सिगनेटरी) निवासी 6/169 विद्याधर नगर जयपुर मेसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज (इन्डिया) एफ 37 ए रोड नं. 2 विश्वकर्मा इन्डस्ट्रियल एरिया जयपुर**
6. **मेसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज (इन्डिया) एफ 37 ए रोड नं. 2 विश्वकर्मा इन्डस्ट्रियल एरिया जयपुर**
7. **मेसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज (इन्डिया) प्लाट नं. 12,13 सेक्टर 7 आईएमटी मानेश्वर 122050 हरियाना इन्डिया** **(अप्रार्थीगण)**

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी की ओर से)
2– श्री नरेश शर्मा अभिभाषक(अप्रार्थी क्रम 3व 4 की ओर से)

निर्णय दिनांक 15.09.2017

प्रकरण श्री हारून खां, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, क्षेत्र– कोटा जोन, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–कोटा द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.05.2015 को मैसर्स श्री मेसर्स मधुरम बैकर्स, चारमूर्ति चौराहा, बारां पर पहुंचा। श्री चंचल शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा (विक्रेता) उम्र–37 निवासी सर्राफा बाजार बारां मेसर्स– मधुरम बैकर्स चारमूर्ति चौराहा बारां उपस्थित थे। जिसे परिचय दिया ओर उससे पूछने पर उसके द्वारा स्वंय को दुकान का विक्रेता होना बताया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु मूल कम्पनी पेक **शर्बत रूह आफजा** लकड़ी की रेक में 750 मिली. वजनी 8 बोतलें रखी हुई थी, जिनमे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर 4 बोतल मूल कम्पनी पेक 750 मिली. की वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को 500/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा

पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदी हई शर्बत रूह आफजा की बोतलों को चार नमूना भाग में प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। तथा नमूना की बॉटलों को नियमानुसार सील्ड किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर श्रीमान खाद्य विशलेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर श्रीमान् डीओ एवं उपनिदेशक कार्यालय जोन कोटा को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को श्रीमान् डीओ एवं उपनिदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें परिक्षेत्र कोटा के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/46(4)/2015/181 दिनांक 19.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 1386/एक्ट/2015/971 दिनांक 10.08.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, **शर्बत रूह आफजा** सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्रांड (मिथ्याछाप) पाया गया। जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य पदार्थ शर्बत रूहआफजा मिसब्रांड (मिथ्याछाप) का अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 ने विक्रय तथा अप्रार्थी क्रम 7 ने निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 स्वंय उपस्थित हुआ तथा जवाब प्रस्तुत नही किया। अप्रार्थी क्रम 7 ने स्वंय उपस्थित होकर जवाब पेश किया तथा अप्रार्थी क्रम 3 व 4 ने जर्ये वकील उपस्थित होकर जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब क्रमवार निम्न प्रकार हैंः–

अप्रार्थी क्रम 7 द्वारा प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि That the copy of the analyst report of the Food Analyst, Jaipur in respect of the aforesaid sample of Sharbat (Rooh Afza) reveals that the quality and the contents of the product are in conformity with standards laid down for it under the Food Safety and Standards (Food Products standards and food additives) Regulation, 2011 but contravention has reportedly found in the sample in respect of the labeling conditions stipulated under Regulations 2.2.2 (2)(F) (I) of the Food Safety and Standards (Packaging and labeling) Regulations, 2011. Thus, the sample has allegedly been declared as misbranded by the food analyst, Jaipur as per section 3(1)(ZF)©(I) of the Food Safety and Standards Act, 2006. The aforesaid report of sample of Sharbat (Rooh Afza) the following alleged violation has been mentioned by the Food Analyst in his report :-

1. While giving the sample description in the middle of the report, Food Analyst has inter-alia mentioned.
2. The Food Analyst has observed " **Opinion :-** The sample of Sharbat (Rooh Afza) bearing code No and Sr No AE-1052 of Designated Officer cum Chief Medical and Health Office Zone Kota, is misbranded food as per section 3(1)(ZF) ©(I) of the Food Safety and Standards Act, 2006"

In addition to the general labeling requirements specified in 2.2.1 above every package of food shall carry the following information on the label, namely-

1. The name of food shall include trade name or description of food contained in the Package.

2. List of ingredients : Except for single ingredient foods, a list of ingredients shall be declared on the label in the following manner:-
   (a) The list of ingredients shall contains an appropriate title, such as term "Ingredients"
   (b) The name of the ingredients used in the product shall be listed in descending order of the time of its manufacturing;
   (c) ----------
   (d) Where an ingredient itself is the product of two or more ingredients, such a compound ingredients shall be declared in the list of ingredients, and shall be accompanied by a list, in brackets of its ingredients order of weight or volume, as the case may be;
   (e) ----------
   (f) Every package of food sold as mixture or combination shall disclosed the percentage of the food(including compound ingredients or categories of ingredients) if such ingredients-
      I. Is emphasized as present on the label through words or picture or graphics; or
      II. Is not within the name of the food but it is essential to characterize the food and is expected to be present in the body of consumers, and if the commission of thy quntitatave ingredients declaration will mislead or deceive the consumer- **Proveded that where the ingredients has been used as flavoring agent, the disclosure of such ingredients is not required**

It is prayed that report of the Food Analyst, Jaipur dated 10-08-2015 in respect of the sample of Sharbat (Rooh Afza), referred to above, may kindly be set aside and alleged charges against us in the matter may kindly be dropped and the case dismissed.

अप्रार्थी क्रम 3 व 4 द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है किः—

A. THE IMPUGNED ADJUDICATION PROCEEDINGS IS WHOLLY MISCONCEIVED, ILLEGAL, DEVOID OF MERITS AND CONTRARY TO THE PROVISIONS OF THE FSSA, ITS RULES AND FSS REGULATIONS

B. GROSS VIOLATION OF MANDATORY PROCEDURE OF ANALYSIS;

C. RESPONDENT NO. 3 AND 4 IS PROTECTED UNDER SECTION 80 (B) (2) (d) (i) OF FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006.

D. DENIAL OF VALUABLE RIGHT OF RE-ANALYSIS OF REFERRAL LAB- CAUSED SERIOUS AND GRIEVOUS PREJUDICE:

E. ALLEGED OFFENCE, IF ADMITTED, IS MADE OUT ONLY AGAINST THE MANUFACTURER AND NOT AGAINST THE ANSWERING RESPODENTS N0. 3 AND 4:

F. AS PER THE VENDOR AGGREMENT, THE RESPONSIBILITY OF PRODUCT QUALITY AND LABELLING IS ON THE MANUFACTURER AND NOT THE ANSWERING RESPODENTS:

G. INVOICE CARRIES THE EXPRESS GUARANTEE OF THE MANUFACTURER FOR COMPLIANCE WITH FOOD LAWS:

H. REPORT OF FOOD ANALYST-UNSUSTAINABLE, UNRELIABLE AND LACKING VALUE:

I. INVALID PERMISSION OF DESIGNATED OFFICER TO LAUNCH PROSECUTION/ ADUDICATION AGAINST THE ANSWERING RESPONDENT:

J. BARRED BY PROVISIONS OF CODE OF CRIMINAL PROCEDURE:

K. ABUSE OF PROCES OF COURT:

Prayer: For the resons stated above and other grounds which may be urged at the time of arguments, it is therefore most respectfully prayed that the Respondents No. 3 and 4 be acquitted in connection with the Adjudication Application No. 9/2016 pending on the file of this Hon'ble Court and thus render justice.

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 3 व 4 की सुनी । दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ शर्बत रूहआफजा का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे मिथ्याछाप (**Mis**

Branded) होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 3 व 4 द्वारा विक्रय किया गया है वास्ते नमूना जांच लिया गया खाद्य पदार्थ शर्बत रूहआफजा मिथ्याछाप **(Mis Branded)** है तो उसके लिये अप्रार्थी क्रम 3 व 4 उत्तरदायी नही है मात्र हमदर्द लेबोरेट्रीज (इण्डिया) ही उत्तरदायी है। अतः अप्रार्थी क्रम 3 व 4 के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करें।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य पदार्थ शर्बत रूहआफजा जांच में मिथ्याछाप **(Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 एवं 2 को कुल 5000/—, अप्रार्थी क्रम 3 एवं 4 को कुल 10000/— तथा अप्रार्थी क्रम 5 ता 7 को कुल 225000/— महायोग 2,40,000/— अक्षरे दो लाख चालीस हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त राशि पृथक पृथक जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2017 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)